नेत्रहीन, बधिर तथा अपांग व्यक्ति तथा लगभग 20 लाख मानसिक रूप से अविकसित बच्चे हैं। आयु-वार बटवारा उपलब्ध नहीं है।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए 11 विशेष रोजगार कार्यालय नेत्रहीन, बधिर तथा अपांग व्यक्तियों की निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों तथा सरकारी सेवाओं में नौकरी दिलाने की चेष्टा करते हैं।

(ग) 1959 मे अपनी स्थापना के समय से विशेष रोजगार कार्यालयों ने 8,911 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाया है। भारत सरकार मे लगे व्यक्तियों तथा जिन पदों पर वे लगे हुए है, उनके बारे में ब्यौरा उपलब्ध नही है।

Role of Catholic Bishops Against the Government Policy of Unifying fees in Government and Private Colleges in Kerala

2180. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that Catholic Bishops in Kerala had taken direct part in organising their religious followers in that State, against the policy of Government in unifying the fees in Government and private colleges; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) Yes, Sir.

(b) Efforts are being made to bring about a settlement.

मध्य प्रदेश में कोयला खनन के लिये औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

2181. श्री गंगाचरण दीक्षित: क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष वार तथा जिला वार, कितनी पार्टियों तथा कितने व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश में कोयला खनन के लिये औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र दिये;

(ख) उन पार्टियों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनको इस अवधि में लाइसेंस दिये गये, जिनके आवेदन-पत्र रद्द किये गये; और

(ग) उन पार्टियों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन-पत्र सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं और प्रत्येक मामले में इसके कारण क्या हैं?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग). साधारणतया अनिर्णीत आवेदन पत्रों का ब्यौरा बनाया नही जाता है। फिर भी, मध्य प्रदेश में कोयला खनन के लिये वर्ष 1970 मे 2, वर्ष 1971 मे 5 तथा 1972 में (30 जून, 1972 तक) 3 आवेदन पत्र लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए थे। जिले वार जानकारी नहीं रखी जाती है। इन आवेदन पत्रों मे से, दो के सम्बन्ध मे औद्योगिक लाइसेंस दे दिये गये हैं तथा शेष सरकार के विचाराधीन है।

जारी किए हुए लाइसेंसो का ब्यौरा साप्ताहिक बुलेटिन "इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इम्पोर्ट लाइसेंस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंस" साप्ताहिक "इंडियन ट्रेड जनरल" तथा मासिक "जनरल आफ इंडस्ट्री ट्रेड" मे प्रकाशित किया जाता है तथा उसकी प्रतिया संसद लाइब्रेरी को भेजी जाती हैं।

औद्योगिक लाइसेंसो को आवेदन पत्रों के विचार करने में प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर काफी विस्तार से जांच करना आवश्यक है। किसी विशेष आवेदन पत्र पर अन्तिम रूप से निर्णय लेने में कई कारणों से देर होती है जैसे आवेदन कर्त्ताओं द्वारा पूरी जानकारी न देना तथा बहुधा नीति विषयक निर्णय लेने होते है फिर भी सरकार लम्बित आवेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय लेने का हर सम्भव प्रयत्न कर रही है।